संख्या-6/एफ1-301/2018 श्र०सं०- 6402

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक- 5-9-18

विषयः- ***राज्य योजना बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 विपत्र कोड-26-2235022000102, 26-2235027890110 एवं 26-2235027960124 के अन्तर्गत* CFMS Software *से निर्गत किये गये* CFMS Order No.- 6199, 6200 *एवं* 6201 all dated- 05-09-18 *के संबंध में।***

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपवंध के विरूद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नही रहने के कारण ***राज्य योजना बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 विपत्र कोड-26-2235022000102, 26-2235027890110 एवं 26-2235027960124 के अन्तर्गत*** CFMS Software ***से निर्गत किये गये* CFMS Order No.- 6199, 6200 *एवं* 6201 all dated-05-09-18** से आवंटित की गयी राशि की निकासी में निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6332 दिनांक-30.08.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित आवंटित की गयी है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दि०-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-04.05.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दि०-17.04.98 के आलोक में है।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, इस राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका- 2 (ख) के आलोक में बी०टी०सी० फॉरम 42 में कर के बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8244 दिनांक 02.08.2010 के आलोक में जिस संस्थान को इस अंशदान की राशि स्थानांतरित की जा रही है। उक्त संस्थान द्वारा संगत राशि की पूर्व प्राप्ति (Pre-received Voucher) संलग्न करनी चाहिए। इन मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी, जिसे इन संस्थानों द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना होगा, जिसकी प्रति वे महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार, पटना से की जाएगी।

7. इस आवंटित अनुदान की राशि की निकासी तभी की जायेगी जब पिछले वर्षो तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र का सामंजन महालेखाकार, बिहार, पटना का कार्यालय से करा लिया जायेगा

8. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा। सभी प्रकार की विपत्रों की जॉच नियमानुसार करके ही आवंटित राशि से भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

9. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

10. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

05/09/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-301/18 श्र0सं0- 6402 पटना, दिनांक 5.9.18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा 2 (सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/09/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।